4=13.00

आवश्यक स्टाम्प सहित ... देने की तारी... Date on which Ap... is made for c... accompanied ... requisite stamps			नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
24.07.2013	24.07.2013	24.07.2013	24-7-13

नकल आदेश दिनांक 22.07.2013 पारित द्वारा न्यायालय उपजि...
मजिस्ट्रेट सदर, फैजाबाद। वाद संख्या 110 अन्तर्गत धारा 143 जे़ड...
ऐक्ट मौजा- जलालुद्दीननगर परगना हवेली अवध तहसील सदर, फैजा...
हिमांशु विक्रम सिंह इन्स्टीट्यूट बनाम सरकार फैसला दिनांक 22....
2013

नोट- नकल आदेश की छायाप्रति फोलियो के साथ संलग्न है ।

(2)

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर (जनपद–फैजाबाद)

हिमांशु विकम सिंह इन्स्टीटयूट——————————बनाम——————————सरकार।

वाद संख्याः 110 अन्तर्गत धारा– 143 ज0वि0अ0
मौजा–जलालुद्दीन नगर, परगना–हवेली अवध, तहसील–सदर,
जनपद–फैजाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमती शशी सिंह पुत्री लक्ष्मी नरायन सिंह निवासी 4/41 टीचर कालोनी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रार्थना पत्र दिनॉक 06.05.2013 अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम पर प्रारम्भ की गयी। प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है, कि ग्राम जलालुद्दीन नगर, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद फैजाबाद की खतौनी सन् 1419 से 1424 फसली के खाता संख्या 39 पर दर्ज गाटा संख्या 1361 मि0 रकबा 0.253 हेक्टेयर भूमि हिमांशु विकम सिंह इन्स्टीटयूट आफ टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग सम्बद्व हिमांशु मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट बहैसियत अध्यक्ष श्रीमती शशी सिंह पुत्री लक्ष्मी नरायन सिंह नि0 4/4 टीचर कालोनी डा. रा.म.लो. अवध विश्वविद्यालय जिला फैजाबाद के नाम संयुक्त रूप से बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त गाटा संख्या पर भवन का निर्माण हो चुका है। अकृषिक रूप में प्रयोग होने के कारण प्रार्थिनी द्वारा गाटा संख्या 1361 मि0 रकबा 0.253 हेक्टेयर को आबादी/अकृषिक अंकित करने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या दिनॉक 05.07.2013 प्राप्त होने के बाद वाद पंजीकृत किया गया।

तहसीलदार सदर की प्राप्त आख्या, जिसके साथ प्रश्नगत भूमि का नज़री नक्शा भी संलग्न किया गया है, का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सदर की आख्यानुसार गाटा संख्या 1361 मि0 रकबा 0.253 हेक्टेयर भूमि हिमांशु विकम सिंह इन्स्टीटयूट आफ टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग सम्बद्व हिमांशु मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट बहैसियत अध्यक्ष श्रीमती शशी सिंह पुत्री लक्ष्मी नरायन सिंह नि0 4/4 टीचर कालोनी डा. रा.म. लो. अवध विश्वविद्यालय जिला फैजाबाद के नाम संयुक्त रूप से बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर भवन निर्माणाधीन है। भूमि अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है। तहसीलदार सदर द्वारा धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या दी गयी है।

वादी श्रीमती शशी सिंह द्वारा दिनॉक 17.07.2013 को बयान अंकित कराया गया है। बयान में वादिनी द्वारा कहा गया है, कि गाटा संख्या 1361 मि0 रकबा 0.253 हेक्टेयर भूमि हिमांशु विकम सिंह इन्स्टीटयूट आफ टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग सम्बद्व हिमांशु मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट बहैसियत अध्यक्ष श्रीमती शशी सिंह पुत्री लक्ष्मी नरायन सिंह नि0 4/4 टीचर कालोनी डा. रा.म.लो. अवध विश्वविद्यालय जिला फैजाबाद के नाम बतौर संकमणीय भूमि दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर भवन निर्माणाधीन है एवं भूमि अकृषिक रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर की जांच आख्या, वादिनी श्रीमती शशी के बयान एवं अन्य अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि ग्राम जलालुद्दीन नगर की गाटा संख्या 1361 मि0 रकबा 0.253 हेक्टेयर भूमि हिमांशु विकम सिंह इन्स्टीटयूट आफ टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग सम्बद्व हिमांशु मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट बहैसियत अध्यक्ष श्रीमती शशी सिंह पुत्री लक्ष्मी नरायन सिंह नि0 4/4 टीचर कालोनी डा. रा.म. लो. अवध विश्वविद्यालय जिला फैजाबाद के नाम संयुक्त रूप से बतौर संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है तथा भूमि अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है। इस प्रकार तहसीलदार सदर की आख्या व वादी के बयान से स्पष्ट है, कि उक्त भूमि अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है तथा उस पर कृषि कार्य नही हो रहा है, जिसे अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सदर की आख्या एवं वदिनी श्रीमती शशी सिंह के बयान से सहमत होते हुए ग्राम जलालुद्दीन नगर, परगना हवेली अवध, तहसील सदर फैजाबाद की खतौनी सन 1419 से 1424 फसली के खाता संख्या 39 पर दर्ज गाटा संख्या 1361 मि0 रकबा 0.253 हेक्टेयर भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि खाते को परता मुताबिक लगान मुक्त किया जाय। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर/उपनिबन्धक सदर को अनुपालनार्थ भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉकः 22.07.2013

मिलान किया द्वारा इलेक्ट्रोस्टेट
मुकाबला किया 24-7-13
शब्द लगभग 400

22.7.13
(राम सहाय यादव)
उपजिलाधिकारी,
सदर–फैजाबाद।

प्रतिलिपि
24-7-13